संख्या-13/2015/141 भा0स0/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2015

विषयः अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु छात्र श्री अनुपम वर्मा पुत्र श्री जगत नारायण वर्मा, जिला उन्नाव के कोर्स हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-11017/73/2014- एस0सी0डी0-1 दिनांक 11-03-2015 एवं निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-6273/स0क0/शिक्षा-अ/सी0पी0एल0/2014-15, दिनांक 23-3-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कामर्शियल पाइलेट लाइसेंस प्रशिक्षण कोर्स हेतु श्री अनुपम वर्मा पुत्र श्री जगत नारायण वर्मा, जिला उन्नाव को रूपया-2.00 लाख (रूपया- दो लाख मात्र) उनकी प्रशिक्षणदायी संस्था इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज, अमेठी को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि से भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित ऐविएशन प्रशिक्षण संस्था को भुगतान किये जाने से पूर्व भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन/शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

3- उक्त अनुमति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2104-231/2014 दिनांक 22-7-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन दी जा रही है।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं013/2015/141 भा0स0(1)/26-3-2015 तदनिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ,,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम , उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊं।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन लखनऊं

7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

8- गार्डफाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।